

**अधिसूचना संख्या 204/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1991(ई), दिनांक 20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 2907 (ई) दिनांक 17 नवंबर, 2009 द्वारा, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 14 पर, "इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्ण लैंड, जुहू, मुंबई -400049" द्वारा "राजस्थान राज्य में मध्याह्न भोजन परियोजना" को वित्तीय वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था और जिसे *आगे* वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचना संख्या एस. ओ. 2412 (ई) दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 द्वारा आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के छह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह संतुष्ट होने पर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, "राजस्थान राज्य में मध्याह्न भोजन परियोजना" योजना या परियोजना को, जो "इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्ण लैंड, जुहू, मुंबई-400049" द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, अनुमोदित लागत 10.55 करोड़ रुपये में किसी भी परिवर्तन के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित करती है।

■ ■